रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल
अनीता सर्मा, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/41/2020
दावा पंजीकरण तिथि : 18-02-2020
आदेशार्थ रखने की तिथि : 22nd August, 2025
आदेश तिथि : 08th September, 2025

1) श्रीमती प्रमिला श्रीवास पत्नी स्व0 श्री पवन श्रीवास,
2) सूर्यान्श श्रीवास पुत्र स्व0 श्री पवन श्रीवास,
3) कृष्णा श्रीवास पुत्र स्व0 श्री पवन श्रीवास,
(आवेदक क्रमांक–2 एवं 3 अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आ0क्र0–1 द्वारा)
निवासी–मकान नंबर 42, भक्तिनडीपा,
वार्ड क्रमांक–42, अमलीभौना,
रायगढ़ (छ0ग0) पिनकोड–496001 .....आवेदक

विरूध्द

1) भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ0ग0) रेस्पांडेन्ट क्रमांक–1

2) श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री जगदीश प्रसाद,
निवासी–देवांगनपारा, हाथी बंधन,
अकलतरा, जिला–जांजगीर (छ0ग0) पिनकोड–495552 रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्रीमती मीना गुप्ता/श्री आर.एस.बरोनिया, आवेदक–अधिवक्ता.
श्री संदीप सविता, रेस्पांडेन्ट क्रमांक–1 के अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

श्री अजय कुमार गर्ग, सदस्य (न्यायिक)

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता मृतक *पवन कुमार श्रीवास पिता स्व0 श्री जगदीश प्रसाद* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत रेस्पांडेन्ट रेलवे से क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि *37* वर्षीय मृतक रायपुर की Sunil Sponge Pvt.Ltd. कंपनी में कार्यरत् था एवं वह दिनांक 07.02.2018 को अकलतरा से रायपुर तक की यात्रा किसी यात्री ट्रेन से करते समय दुर्घटनापूर्वक चलती ट्रेन से मांढर रेलवे स्टेशन पर नीचे गिर गया और सिर, पसलियों, पैर एवं शरीर के अन्य भागों में फ्रेक्चर एवं अन्य घातक चोटों के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे रायपुर के श्री

निरंतर.....2/पर

11/09/25
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

बालाजी सुपर स्पेशॉलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पर उपचार के दौरान उसकी उक्त चोटों के कारण मृत्यु हो गई. पण्डरीतराई थाने द्वारा प्रकरण को पंजीबध्द कर आगे की कार्यवाही सम्पन्न की. यह अभिवचन किया गया है कि मृतक द्वारा अकलतरा–रायपुर के बीच मासिक सीजन टिकट दिनांक 04.02.2016 संख्या–32289018 निकाला था जो कि घटना के कारण परिचय पत्र के साथ गुम हो गया. अतः सद्भावी यात्री के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन मृतक पति/पिता की मृत्यु हो जाने से पत्नी व संतान के तौर पर आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आवेदक हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है, चूँकि मृतक के पिता जीवित नहीं है एवं माता–श्रीमती सुमित्रादेवी जीवित है, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं किये जाने से उनको रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 बनाया गया है.

3. रेस्पाडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जाँच जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर दावे का इस आधार पर विरोध किया है कि मृतक के पास कोई रेल यात्रा टिकट नहीं पाया गया एवं उसकी मृत्यु में रेलवे की कोई गलती एवं लापरवाही नहीं पाई गई है, वहीं जवाबदावे में उल्लेखित एमएसटी जारी होने को स्वीकार तो किया है, किन्तु यह किस यात्री के नाम से जारी किया गया है, रिकार्ड में दर्ज नहीं होने का कहा है. अतः घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए इसी आधार पर प्रकरण को व्यय सहित निरस्त करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of the deceased was due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

5. आवेदकों की ओर से क्रमांक–1 ने अपना शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1* से *A-18* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जाँचकर्ता अधिकारी–श्री बीपी.डनसेना, एसआई/आरपीएफ, भाटापारा को भी शपथपत्र *(RW/1)*

निरंतर.....3/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

के साथ उपस्थित कराया गया है. दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

6. पीठ द्वारा आवश्यकता होने पर तत्कालीन वरि0मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रायपुर (वर्तमान में धनबाद में पोस्टिंग) श्री अनुराग मीणा भी साक्षी के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित हुए.

7. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुनकर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करके, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज क्रमांक–1, 2 एवं 3 :

8. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने के लिए इन तीनों ही इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. आधारभूत दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाही तथा *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, के आधार पर रेस्पांडेन्ट ने अपना विरोध इस बात तक सीमित रखा है कि मृतक के पास यात्रा का कोई टिकट नहीं मिला है, तथा आवेदकों ने अपने दावा आवेदन में एमएसटी का उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा वेरिफिकेशन कराया गया है, जिसमें एमएसटी अकलतरा से रायपुर के लिए जारी होना पाया गया, किन्तु किस व्यक्ति के लिए जारी किया गया है, उसका रेकार्ड नहीं है, वहीं पीठ द्वारा *CRIS* से भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई थी, किन्तु इसका भी नतीजा सिफर ही रहा. अतः हम लाभ आवेदकों को देते हुए यह अवधारित करते हैं कि उक्त एमएसटी के आधार पर घटना के समय मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर था.

9. वहीं, घटना दिनांक को मांढर स्टेशन पर किसी भी अप्रिय घटना की न तो कोई सूचना थी एवं न ही घटित हुई थी एवं न ही रेकार्ड में इसका इन्द्राज नहीं होने से रेस्पांडेन्ट द्वारा घटना के लिए अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया है, किन्तु ए–1 से लेकर ए–7 तक सभी बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों में मृतक के मांढर स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने से आई चोटों से ही मृत्यु होने का अंकन है, वहीं रेस्पांडेन्ट ने मृतक को घायल अवस्था में मांढर स्टेशन से ले जाने वाले प्रायवेट एम्बूलेन्स के श्री कुलेश्वर सैन का भी कथन (आर–1/35) अपनी जाँच में लिया है जिसके अनुसार भी मृतक के किसी ट्रेन से गिरकर घायल होने का ही तथ्य अंकित है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मल्टीपल इंजूरी का तथ्य अंकित है. अतः इन सब दस्तावेजी साक्ष्यों से आवेदक–साक्षी का सशपथ कथन पूरी तरह से साबित होता है कि घटना के समय मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्री ट्रेन से यात्रा करते समय मांढर स्टेशन पर अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन ही चलती ट्रेन से गिर गया था, जिसकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई.

निरंतर.....4/पर

सहायक रजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

चूँकि, पूख्ता सबूतों से यह साबित हो गया है कि मृतक चलती ट्रेन से गिरा था, अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ वि0 शीनादेवी प्रकरण *(civil appeal no. 4945 of 2018 decided on 9th May, 2018)* के पैरा कमांक–16.1 में साफ तौर पर अवधारित *(Section 124 and section 124 A provide that compensation is payable whether or not there has been wrongful act, neglect or fault on the part of the railway administraion in the case of an accident or in the case of an untoward incident, only exception are those provided under provision to section 124 A in Prabhakaran vijaya kumar it was held that section 124 A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required)* कर देने से हम रेस्पांडेन्ट के विरोध को दरकिनार करते हुए यही अवधारित करते हैं कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए रेस्पांडेन्ट रेलवें इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार साबित होने से तीनों ही इश्यूज आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं.

इश्यूज कमांक–4 एवं 5 :

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता की पत्नी व संतान होने के नाते आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है व अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, रॉशनकार्ड, मृतक लायसेंस, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक पासबुक *(A-8, 10 to 17)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. साक्षी के तौर पर उपस्थित होने पर मृतक की पत्नी ने यह तथ्य भी रखे हैं कि मृतक पति से वह अलग रहती थी, किन्तु तलाक नहीं हुआ था एवं दोनों बच्चे अर्थात् आवेदक क्रमांक–2 एवं 3 मृतक पति के पास ही थे इसलिए उसने इनकी कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में परिवाद दायर किया था, किन्तु मृतक पति की मृत्यु हो जाने से उसे अपने बच्चों की कस्टडी मिल गई थी. आवेदिका द्वारा मृतक के पिता की मृत्यु हो जाने, किन्तु सास जीवित होने एवं उसके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने के कारण उसने अपनी सास को रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 बनाया है. चूँकि रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 मृतक की माता है, अतः *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B)(i)(ii)* के अन्तर्गत आवेदकों के साथ–साथ मृतक की माता को भी आश्रित के तौर पर मान्य किया जाता है.

11. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

12. वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक *(07-02-2016)* को निर्धारित मुआवजा राशि रूपये *4,00,000/-* एवं उस पर वाजिब दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि से आदेश दिनांक को

निरंतर.....5/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

निर्धारित धनराशि रूपये 8,00,000/- अधिक होने से व अधिक धनराशि दिये जाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये 8,00,000/- की राशि ही प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार है. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

13. अतः दावा आवेदन स्वीकार किया जाता है और रेस्पांडेन्ट रेलवे प्रशासन को प्रतिकर राशि रूपये 8,00,000/- (राशि रूपये आठ लाख) भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.

14. रेस्पांडेन्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपर पंजीयक/रेदाअ/भोपाल के सूटर्स खाते में मुआवजा राशि को जमा करेगा तथा अपर पंजीयक/रेल दावा अधिकरण आवेदक/कों/लाभार्थी/यों के बैंक डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद दिये गये आदेश के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करेगा.

15. जहाँ तक अवार्ड की गई राशि के वितरण का सवाल है तो इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गीता देवी वि0 भारतसंघ में पारित निर्णय के पैरा–5 के अनुसरण में, वर्तमान मामले में ब्याज सहित प्रतिकर राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा :–

Sl No	Name of the Applicant	Relationship with deceased	Age in Years	Amount awarded (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	श्रीमती प्रमिला श्रीवास	पत्नी	37	3,00,000/-
2)	सूर्यांश श्रीवास	पुत्र	18	2,00,000/-
3)	कृष्णा श्रीवास	पुत्र	13	2,00,000/-
4)	श्रीमती सुमित्रा देवी	माता	78	1,00,000/-

16. लाभार्थी क्रमांक–1, 2 एवं 4 को उक्त तालिका के कॉलम–5 की राशि में से 10-10% राशि को ECS/NEFT के द्वारा उसके संबंधित बचत बैंक खाते में तत्काल जारी कर दिया जाएगा एवं शेष 90% राशि को इनके निवास स्थान के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी क्रमांक–1 एवं 2 के नाम से 05 वर्ष के लिए तो क्रमांक–4 के नाम से 03 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज का मासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा. उक्त तालिका के लाभार्थी क्रमांक–3 चूँकि अभी अवयस्क है, इसलिए संदेय इसकी प्रतिकर राशि को इसके वयस्क होने की अवधि अथवा 05 वर्ष, जो भी बाद में हो, तक की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज इनके लालन–पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से लाभार्थी क्रमांक–1 मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेगी.

17. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगे.

18. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड

शेष.....6/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे. अपर पंजीयक उक्त का सत्यापन करने के बाद उक्त दावा राशि का दिये गये आदेशानुसार भुगतान करेगा.

19. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से एक माह के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

20. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

21. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

22. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

23. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

24. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

25. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

26. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

09/09/2025
(अनीता सर्मा)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

8/09/25
(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 08th September, 2025 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

09/09/2025
(अनीता सर्मा)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

8/09/25
(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

11/09/25
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल